न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद सं०– 2198/2022
सरकार बनाम कमरजहां।
अं० धारा– 376, 120B
भा०दं०सं० 3/4, 17 पोक्सो एक्ट।
मु०अ०सं० 229/2022
थाना– पिलखुवा, जिला– हापुड़।

<u>आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)</u>

<u>दिनांकः– 01.02.2023</u>

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्ता कमरजहां जेरे जमानत उपस्थित।

अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आरोप विरचन के बिन्दु पर बहस की गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो अधिनियम) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया, जिसके द्वारा उन्हें अभियोजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्ता कमरजहां के विरूद्ध भा०दं०सं० की धारा 376D सपठित धारा 120B तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 सपठित धारा 17 के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्ता कमरजहां के विरुद्ध उक्त धारा के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि० 22.02.2022 को पेश हो।

दिनांकः– 01.02.2023

(श्वेता दीक्षित)
(J.O. CODE–UP01645)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

Digitally signed by Shweta Dixit
Date: 2023.02.04 16:38:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।
सत्र वाद सं०– 2198/2022
सरकार बनाम कमरजहां।
अं० धारा– 376, 120B
भा०दं०सं० 3/4, 17 पोक्सो एक्ट।
मु०अ०सं० 229/2022
थाना– पिलखुवा, जिला– हापुड़।

आरोप

मैं, श्वेता दीक्षित, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़ एतद्द्वारा आप अभियुक्ता कमरजहां को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करती हूं–

प्रथम– यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांकित 19.05.2022, समय 01.30 बजे, बस्थान ग्राम कमालपुर, थाना पिलखुवा, जिला हापुड़ में आप अभियुक्ता ने साशय से आपराधिक षडयंत्र के तहत सहअभियुक्त नासिर द्वारा पीड़िता कु० के उम्र करीब 14 वर्ष के साथ बलात्कार किये जाने के अपराध में सहयोग किया। इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य भा०दं०सं० की धारा 376 सपठित धारा 120B के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीय– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्ता ने साशय से आपराधिक षडयंत्र के तहत सहअभियुक्त नासिर द्वारा पीड़िता कु० के उम्र करीब 14 वर्ष के प्रवेशन लैंगिक हमला किये जाने के अपराध में दुष्प्रेरण किया। इस प्रकार से आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 सपठित धारा 17 के तहत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

आरोप अभियुक्ता को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्ता ने आरोपों को अस्वीकार किया और विचारण की मांग की।

दिनांकः– 01.02.2023 (श्वेता दीक्षित)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।

अतएव एतद्द्वारा मैं, आपको आदेशित करती हूं कि उक्त आरोपों के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः– 01.02.2023 (श्वेता दीक्षित)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड़।